(Authoritative English text of this Department Notification No. MPP-F(1)-2/2005-IX- Loose dated — 2020 as required under clause(3) of article 348 of the Constitution of India)

Government of Himachal Pradesh
Department of MPP & Power

No.MPP-F(1)-2/2005-IX-Loose Dated Shimla-2 the 12-10-2020

NOTIFICATION

Whereas, the Central Electricity Authority constituted under section 70 of the Electricity Act, 2003, in exercise of powers conferred under section 177, has framed regulations providing for measures relating to Safety and Electricity Supply namely the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010 (hereinafter referred to as "CEA Regulations");

And whereas, in terms of the provisions under sub-section (1) of section 162 of the Act ibid read with Regulation 32 of "CEA Regulations" the appropriate Government is empowered to notify the capacity above which the generating units will be required to be inspected by the Electrical Inspectors in the State.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 162 of the Act ibid read with regulation 32 of "CEA Regulations", the Governor of Himachal Pradesh is pleased to notify the capacity above which generating units will be required to be inspected by the Electrical Inspectors before commissioning for the installations of generating stations or generating units (including generating units producing electricity from renewable source of energy) as under:-

i)	Upto 50 KW	Self Certification
ii)	Above 50 KW	Electrical Inspector

This Notification supersedes the earlier notification no. MPP-F(1)-2/2005-IX-Loose dated 26th October, 2019.

By order

Additional Chief Secretary (MPP & Power) to the
Government of Himachal Pradesh

Endst. No.As Above   Dated: 12 October,   2020

Copy to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P.
2. All the Head of Departments in Himachal Pradesh.
3. The Director (Energy), H.P., Shanti Bhawan, Phase-III, Sector-6, New Shimla-171009
4. The Secretary, HPERC, Keonthal Commercial Complex, Khalani, Shimla-171002
5. The Chief Electrical Inspector, H.P., Block No. 29, SDA Complex-Kasumpti-171009
6. The Managing Director, HPSEBL, Vidyut Bhawan Kumar House, Shimla-4
7. The Managing Director, HP Power Corporation Ltd., Himfed Building, BCS, Shimla-9
8. The Managing Director, HP Power Transmission Corporation Ltd.Near Old MLA Quarter Tutikandi Shimla-5
9. Guard file.

(Hemraj Bairwa)
Special Secretary (MPP & Power) to the
Government of Himachal Pradesh.

Padam

Vardhan

हिमाचल प्रदेश सरकार
बहुउद्देशीय परियोजना एवं ऊर्जा विभाग

संख्या: एम. पी. पी.–एफ. (1)–1/2005–III तारीख, शिमला–2, 7 मार्च, 2017

अधिसूचना

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 70 के अधीन गठित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 53 के साथ पठित धारा 177 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से सम्बधित उपायों का उपबन्ध करने के लिए विनियम अर्थात् केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति से सम्बन्धित उपाय) विनियम, 2010 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "सी.ई.ए. रैग्यूलेशनज" कहा गया है) विरचित किए है;

"सी.ई.ए. रैग्यूलेशनज" के विनियम 32 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 162 की उपधारा (1) के अधीन उपबन्धों के निबन्धनों के अनुसार समुचित सरकार, ऐसी क्षमता अधिसूचित करने के लिए सशक्त है जिससे ऊपर की क्षमता वाली उत्पादन इकाइयों के लिए निरीक्षण राज्य में मुख्य विद्युत निरीक्षक से करवाया जाना अपेक्षित होगा;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, "सी.ई.ए रैग्यूलेशनज" के विनियम 32 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 162 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचित करते हैं कि 10 के.वी.ए. से अधिक की क्षमता वाली उत्पादन इकाईयों (ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन करने वाली उत्पादन इकाईयों सहित) के इन्स्टालेशनज़ का निरीक्षण मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा किया जाएगा।

यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

आदेश द्वारा

तरूण श्रीधर
अतिरिक्त मुख्य सचिव (ऊर्जा)
हिमाचल प्रदेश सरकार

पृष्ठांकन संख्या:एम0पी0पी0–एफ(1)–1/2005–III दिनांक शिमला–2, 7 मार्च, 2017
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित है:–

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार,शिमला–171002.
2. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश सरकार
3. निदेशक, ऊर्जा, हिमाचल प्रदेश, शान्ति भवन, फेज–III सेक्टर–6, न्यु शिमला–9.

विद्युत निरीक्षणालय
772
14/3/17
हि० प्र० शिमला

4. सचिव, हि०प्र० विद्युत विनियामक आयोग, क्यौंथल कॉमर्शियल कम्पलैक्स, खलीणी, शिमला–171002.
5. मुख्य विद्युत निरीक्षक, ब्लाक न0–29, एस0डी0ए0 कम्पलैक्स, कसुम्पटी, शिमला–171009.
6. प्रबन्ध निदेशक, हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड लि0, विद्युत भवन, शिमला–171004
7. प्रबन्ध निदेशक, हि0प्र0 पावर संचार निगम लि0, हिमफैड भवन, नजदीक एम0एल0ए0 क्वार्टर, पांजरी टूटी कण्डी, शिमला–171005.
8. प्रबन्ध निदेशक, हि0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, हिमफैड भवन, वीसीएस, न्यू शिमला–9.
9. उप विधि परामर्शी एंव उप सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2.
10. वरिष्ठ विधि अधिकारी, विधि विभाग (राजभाषा खण्ड) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2.
11. नियन्त्रक, लेखन एवं सामग्री विभाग, हि0प्र0 शिमला–171005 को हि0 प्र0 राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु ।
12. गार्ड नस्ति।

विशेष ~~सचिव~~ (विद्युत)
हिमाचल प्रदेश सरकार